**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 :1079**

**दिनांक 29 जुलाई, 2015**

**अन्वेषक कंपनियों को त्वरित अनुमोदन**

1079. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अन्वेषकों के बजट और कार्य योजनाओं को अनुमोदन देने की गति तेज कर दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां स्पष्ट पुनर्निवेश योजनाओं के साथ वर्तमान वर्ष में कार्य चालू कर दें और पिछले वर्षों की तरह जब संचालक विलम्ब के कारण अनिश्चितता की शिकायत करते थे, की स्थिति न रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि त्वरित अनुमोदन देश में तेल की खोज तथा उत्पादन के कार्यकलाप को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का एक भाग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान)**

(क) से (ग): वर्तमान वर्ष 2015-2016 के दौरान, प्रबंध समिति ने अब तक 78 ब्‍लाकों और 41 क्षेत्रों का बजट और कार्य कार्यक्रम (डब्‍ल्‍यूपी) अनुमोदित कर दिया है। इसमें से अधिकांश अनुमोदन वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व प्रदान कर दिए गए थे ताकि निर्वाध ईएंडपी प्रचालनों को सुनिश्‍चित किया जा सके और अन्‍वेषण, विकास अथवा उत्‍पादन प्रचालनों के लिए किसी प्रकार की अनिश्‍चितता और विलंब से बचा जा सके। शीघ्र अनुमोदन से प्रचालकों को पहले से संसाधनों की योजना बनाने में मदद मिलेगी जिससे अंततोगत्‍वा खोजों का तेजी से अन्‍वेषण और शीघ्र मुद्रा अर्जित करने, यदि कोई हो, में मदद मिलेगी।

\*\*\*\*\*